न्यायालय सिविल जज (जु.डि.)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती पारूल कुमारी, उ०प्र० न्यायिक सेवा (यू.पी.03546)

UPHP120003412007

पंजीकरण संख्या–259/2007

वाद सं०–259/2007

मु०अ०सं०–114/2007

सरकार बनाम राजेन्द्र आदि

अंतर्गत धारा–60/62 आबकारी अधिनियम

थाना– गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक:–12.08.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **राजेन्द्र पुत्र मबासी व हरिशचन्द पुत्र रमेश** न्यायालय उपस्थित आए। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मुकदमा चलाने में असमर्थ हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त मुकदमे का निस्तारण जुर्म इकबाल के आधार पर कराना चाहते हैं तथा उचित अर्थदण्ड देने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण का जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गढ़मुक्तेश्वर की पुलिस द्वारा धारा–60/62 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिसपर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 20 लीटर शराब खाम बरामद होने का आरोप लगाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत है। पत्रावली वर्ष 2007 से लंबित है। अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गरीब परिवार का सदस्य हैं, जो मुकदमा चलाने में असमर्थ हैं। अभियुक्तगण की परिस्थितियों एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण राजेन्द्र पुत्र मबासी व हरिशचन्द पुत्र रमेश, धारा–60/62 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

–आदेशः–

अभियुक्तगण **राजेन्द्र पुत्र मबासी व हरिशचन्द पुत्र रमेश** को धारा–60/62 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। पत्रावली **लंच बाद** दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो। अभियुक्तगण उपस्थित रहे।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

–दण्ड के प्रश्न पर सुनवाईः–

दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये। वह अच्छे नागरिक के रूप में जीवन यापन करेंगे। कोई अपराध कारित नहीं करेंगे। यह भी बताया कि अभियुक्तगण घर का एकमात्र जीवकोपार्जन करने वाले सदस्य हैं।

उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हैं, जो उक्त केस को आगे चलाने में असमर्थ हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत है। अभियुक्तगण स्वयं अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हैं तथा अभियुक्तगण की पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। उक्त वाद वर्ष 2007 से लम्बित है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण **राजेन्द्र पुत्र मबासी व हरिशचन्द पुत्र रमेश** को धारा–60/62 आबकारी अधिनियम में निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेशः–

अभियुक्तगण **राजेन्द्र पुत्र मबासी व हरिशचन्द पुत्र रमेश** को वाद सं०–259/2007, मु०अ०सं०–114/2007, सरकार बनाम राजेन्द्र आदि, अंतर्गत धारा–60/62 आबकारी अधिनियम, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में निम्न अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है–

1. धारा– 60/62 आबकारी अधिनियम में जेल में बितायी अवधि व अंकन 2000–2000/–रुपये के अर्थदण्ड से

अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्तगण को **5–5 दिवस** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–12.08.2026

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.08.13 11:01:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court